nt>

Title: Requests the Central Government to encourage the co-operative banks and need to fix the rate of interest on loan for marginal farmers and poor poeple.

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में दो तरह के बैंक हैं। एक तो सरकारी बैंक हैं, जो ब्याज पर ब्याज नहीं लेते, दूसरे कमर्शियल बैंक हैं, जो ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं। छोटे काश्तकार, मार्जिनल किसान जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं, व्यावसायिक बैंक इनसे दस से पचास गुना तक पैसा ब्याज पर ब्याज लगाकर वसूल करते हैं। गांव में किसान ट्रैक्टर लोन पर लेता है तो लोन के बाद ये बैंक उस पर इतना ब्याज लगा देते हैं कि वह किस्त नहीं चुका पाता, नतीजन ये बैंक उसका ट्रैक्टर, जमीन और घरबार तक कुड़क कर लेते हैं। इससे किसान बर्बाद हो रहे हैं। मैं एक उदाहण देना चाहता हूं ख्वाजुखां ने, ग्राम बेड़ाखेड़ा, केशोरायपाटन, जिला बूंदी, १९८८ में ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था। बैंक वालों ने उसका ट्रैक्टर और २०० बीघा जमीन कुड़क कर ली और दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसकी जमीन पर काश्त कर रहे हैं। इस तरह से वह बैंक किसान को मुआवजा भी नहीं दे रहा है। इससे वहां का किसान बर्बाद हो रहा है। ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद सहकारी बैंकों को किसानों के हितों के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। किसानों के हितों के लिए ही ये सहकारी बैंक बनाए गए हैं, मेरा निवेदन है कि इन बैंकों को प्रोत्साहित किया जाए और मार्जिनल फार्मर और गरीब तबके के लोगों को लोन देते समय ब्याज की सीमा निश्चित की जाए, जो कि दो या चार गुना से ज्यादा न हो, इससे ये किसान लाभान्वित होंगे।